



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

पत्रांक : 2257 40/76/एक/2018-19

दिनांक: 21 जुलाई 2018

सेवा में,

अपर आवास आयुक्त एवं सचिव
आवास विकास परिषद,
लखनऊ

विषय-वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी मिशन) के उपघटक भागीदारी में किफायती आवास निर्माण एवं आवास विस्तार (ए०एच०पी०) के अन्तर्गत धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं० 3297 दिनांक 18.07.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के उपघटक लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण एवं आवास विस्तार (ए०एच०पी०) के अन्तर्गत अवध विहार सेक्टर 10 बी, सेक्टर-7ए, सेक्टर-3 पार्ट-1 एवं सेक्टर-3 पार्ट-2 के 4752 भवनों हेतु धनराशि रू० 4752.00 करोड (रू० सैतालिस करोड बावन लाख मात्र) आवास विकास परिषद के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्कम में आवास विकास परिषद द्वारा पत्रांक 101 दिनांक 04.06.2018 के माध्यम से जनपद पर खोले गये बचत खाता जिसकी सूचना अभिकरण को उपलब्ध करायी गयी है जो पी०एफ०एम०एस० पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं में निम्न विवरणानुसार धनराशि पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से अन्तरित की जा रही है:-

(धनराशि रू० में)

क्र०सं०	जनपद का नाम	आवासों की संख्या				अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (प्रति आवास रू० 250000/- का 40 प्रतिशत जिसमें केन्द्रांश एवं राज्यंश सम्मिलित है)	बैंक का नाम	खाता संख्या
		सा०वर्ग	अनु०वर्ग	अनु०जनजाति	योग			
1	2						8	9
1	अवध विहार सेक्टर 10 बी	1894	229	5	2128	212800000	एच.डी.एफ.डी. बैंक वैभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	No. 50100084163880
2	सेक्टर-7ए	883	107	2	992	99200000		
3	सेक्टर-3 पार्ट-1	598	72	2	672	67200000		
4	सेक्टर-3 पार्ट-2	855	103	2	960	96000000		
	योग	4230	511	11	4752	475200000		

अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाये।

- 1- अवमुक्त की जा रही अनुदान की धनराशि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन योजनान्तर्गत मार्च 2015, मार्च 2016 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप तथा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ही नियमानुसार उपयोग किया जाये।

(Handwritten signatures)



राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ०प्र०

7/23, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार (निकट डायल 100), लखनऊ-226027

Website-sudaup.org

- 2- प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिये आवास (शहरी) मिशन के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या 162/2016/623/69-1-16-14(139) /2015 टीसी दिनांक 21 मार्च 2016 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- 3- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद में धनराशि अवमुक्त की जा रही है किसी भी दशा में व्ययवर्तन मान्य नहीं होगा तथा धनराशि का उपयोग किये जाने के उपरान्त भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को प्राथमिकता पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उपयोगिता प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रपत्र पत्र के साथ संलग्न है एवं सूडा की वेबसाइट पर भी अपलोड है।
- 4- उपरोक्तानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि का वर्गवार स्वीकृत आवासों की अंकित संख्या के क्रम में धनराशि के उपयोग का भी ध्यान रखा जाये तथा वर्गवार (सामान्य वर्ग, अनुसूचित वर्ग एवं अनु०जनजाति वर्ग) का प्राधिकरण के अभिलेखों में लेखांकन भी कराने का कष्ट करें।
- 5- केन्द्रांश व राज्यांश की अवमुक्त की जाने वाली धनराशि रेरा अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार खाते में रखी जाये। इसके अतिरिक्त लाभार्थियों से प्राप्त की जाने वाली लाभार्थी अंशदान की धनराशि भी रेरा नियम के अन्तर्गत नियमानुसार उक्त खाते में रखा जाना सुनिश्चित करें।
- 6- योजना की भागीदारी में किफायती आवास (ए०एच०पी०) घटक के दिशा-निर्देश की प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न।

संलग्नक-यथोपरि

भवदीय,

(साजिद आजमी)

वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि-

- 1- संयुक्त सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार।
- 2- अधिशाषी निदेशक आवास बन्धु प्रथम तल, जनपद मार्केट, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की सम्बन्धित आवास विकास परिषद को निर्देशित कर दें की धनराशि का नियमानुसार उपयोग करते हुए प्राथमिकता के आधार उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 3- अपर निदेशक/निदेशक महोदय।
- 4- कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
- 5- श्री योगेश आदित्य, सहा०परि० अधिकारी/वेबमास्टर/अनिल कुमार सिंह, सहायक सूडा।

(साजिद आजमी)

वित्त नियन्त्रक